प्रश्न:- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानो की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा - 250)

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को दिसंबर-2019 में संसद द्वारा पास किया गया है जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है।

इसमें मुख्य रूप से 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पहले उन गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के प्रावधान है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए थे।

मुख्य प्रावधान

- इस संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य तीन मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान) से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मान्यता देना है।
- यह संशोधन नागरिकता अधिनियम, 1955, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में संशोधन करता है।
- यह उपर्युक्त मुस्लिम देशों से आए 6: संप्रदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, सिक्ख, ईसाई एवं पारसी) को बिना किसी वैध दस्तावेज के भी नागरिकता देने का प्रावधान करता है।
- इस संशोधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उपर्युक्त तीन देशों से आए उन लोगों को वैधता प्रदान करना है जो किसी धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा राजनैतिक उन्माद के चलते अपना देश छोड़ने को बाध्य हुए थे।

हलांकि इस अधिनियम के प्रावधानो की कुछ मुद्दों पर आलोचना भी की जाती है.

आलोचना

- इसकी प्रमुख आलोचना में कहा जाता है कि यह मुस्लिम विरोधी अधिनियम है इस प्रकार यह

संविधान की समाजवादी प्रकृति, समानता के मूल अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

- यह म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों, बांग्लादेश से आए मुस्लिम शरणार्थियों एवं श्रीलंका से आए तमिलों की रक्षा करने में असमर्थ है।
- इसकी आलोचना का एक आधार असम समझौते का उल्लंघन भी माना जाता है।
- इस अधिनियम में कई यहूदियों एवं नास्तिक संप्रदायों पर विचार नहीं किया गया है।
- इसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे सीमावर्ती देशों से आए शरणार्थियों पर विचार नहीं किया गया है।
- आलोचना का एक आधार यह भी है कि इसमें केवल धार्मिक उन्माद को ही मुख्य आधार माना गया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिर्फ शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया इसमें कहीं भी नागरिकता छीनने का उल्लेख नहीं है और इसमें किसी भी भारतीय नागरिक को कोई खतरा नहीं है। यह अनु० 14 में उल्लिखित विधियों के समान संरक्षण वाले सिद्धांत को और दृढ़ता प्रदान करता है।

16/9/2020

प्र: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानो की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

उत्तर - हाल ही मे संसद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया है।

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को नागरिकता अधिनियम, 1955 मे संशोधन करने के लिये लाया गया है
- नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिये विभिन्न आधार प्रदान करता है। जैसे - जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र इत्यादि
  - इसके अलावा यह भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India - OCI) कार्डधारको के पंजीकरण और उनके अधिकारो को नियंत्रित करता है।
  - OCI भारत यात्रा के लिए पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय आजीवन वीजा जैसे कुछ लाभ प्रदान करना है।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- विधेयक मे किये गये संशोधन के अनुसार 31 दिसम्बर, 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओ, सिखो, बौद्धो, जैनियो, पारसियो एवं ईसाइयो को अवैध प्रवासी नही माना जाएगा।
- इन प्रवासियो को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत मे प्रवेश) अधिनियम, 1920 मे भी छूट प्रदान करनी होगी

संशोधन अधिनियम को लेकर चिंता

- उत्तर-पूर्व के मुद्दे:
  - यह 1985 के असम समझौते का उल्लंघन करता है, जिसमे कहा

गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियो को धर्म की परवाह किये बिना देश से बाहर निकाल दिया जाएगा।

- आलोचको का तर्क है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के आने से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of citizens-NRC) का प्रभाव खत्म हो जाएगा।
- असम मे अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी है और उनके कारण राज्य के संसाधनो एव अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़ने के अलावा राज्य की जनसांख्यिकी मे भी भारी बदलाव आया है।
- आलोचको का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है (जो नागरिक और विदेशी दोनो को समानता और अधिकार की गारंटी देता है) क्योकि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना मे निहित है।
- भारत मे कई अन्य शरणार्थी है जिनमे श्रीलंका, तमिल और म्यांमार से आए हिन्दू रोहिंग्या शामिल है लेकिन उन्हे अधिनियम के तहत शामिल नही किया गया है।
- अवैध प्रवासियो और सताए गए लोगो के बीच अंतर करना सरकार के लिये मुश्किल होगा।
- विधेयक उन धार्मिक उत्पीड़न की घटनाओ पर प्रकाश डालता है जो इन तीन देशो मे हुए है जो उन देशो के साथ हमारे द्विपक्षीय संबधो पर बुरा असर डाल सकता है।
- यह विधेयक किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर OCI पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा व्यापक आधार है जिसमे मामूली अपराधो सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते है (जैसे नो पार्किंग क्षेत्र मे पार्किंग

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने लोकसभा में इस विधेयक के पारित होने पर चिंता जताई है।
- USCIRF ने अपने बयान में कहा है कि यदि यह विधेयक भारतीय संसद से पारित हो जाता है तो वह भारतीय गृह मंत्री सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है।